दूरभाष/Telephone: 011-26172677
फैक्स/FAX : 011-26168431

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
Employees' Provident Fund Organisation
(Ministry of Labour & Employment, Govt. Of India)
मुख्य कार्यालय/ Head Office
भविष्य निधि भवन, 14-भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066
Bhavishya Nidhi Bhawan, 14-Bhikaji Cama Place, New Delhi-110066
Website: www.epfindia.gov.in

No. Pension/5/66/2010/Court Case 34677 **Dated:** 14 नवम्बर NOV 2011

To

All Addl. Central P.F. Commisstioners
All Regional Provident Fund Commissioners,
All Officer-in-Charge,
ROs/SROs.

Sub: Consumer Complaint No. 258/2010 filed by Shri Govind Prasad Dimri before DCDRF, Dehradun - Abstract of judgement dated 28.07.2011.

Sir,

Find enclosed the judgment dated 28.07.2011 relating to separate calculation of pension for past and pensionable service and its abstract forwarded by RPFC, Dehradun to be used in similar litigations/disputes.

(This issues with the approval of Regional P.F. Commissioner (Pension).

Yours faithfully,

Encl: Abstract and judgment

(APRAJITA JAGGI)
REGIONAL P.F. COMMISSIONER-II (PENSION)

Copy to:

1. FA & CAO.
2. Chief Vigilance Officer.
3. Director NATRSS.
4. RPFC (NDC)/ (NRPO) with a request to upload on the website.
5. All ZAPs/All ZTIs/Sub ZTI.
6. All Officers in the Head Office.
7. Hindi Section for Hindi Version.

Being submitted to day for upload.
14/12/2011

(परिवाद प्रस्तुत दि0 14.07.2010)
(निर्णय दि0 28.07.2011)

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम, देहरादून।

उपस्थित– श्री आर0आर0 अग्रवाल, अध्यक्ष
श्रीमती वीना शर्मा, सदस्या
श्री ध्रुव नारायण टोडरिया, सदस्य

1.प्रार्थना पत्र प्राप्ति का दिनांक 20/8/11
2.नकल तैयार करने का दिनांक 20/8/11
3.नकल निर्गत करने का दिनांक 20/8/11
4.प्रतिलिपि प्रथम/द्वितीय

उपभोक्ता परिवाद संख्या– 258/2010

श्री गोविन्द प्रसाद डिमरी, पीपीओ नं0 2162, लोवर नत्थनपुर, पो0ओ0– नेहरूग्राम, देहरादून।

........परिवादी

बनाम

1. रीजनल प्रोविडेंट फण्ड कमिश्नर(पेंशन) मुख्य कार्यालय, प्रोविडेंट फण्ड बिल्डिंग, 14 भिकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली।
2. रीजनल प्रोविडेंट फण्ड कमिश्नर, इम्प्लॉइज प्रोविडेंट फण्ड ऑर्गेनाइजेशन, प्रोविडेंट फण्ड बिल्डिंग, व्योम प्रस्थ, कांवली, जी.एम.एस. रोड, देहरादून।

..........विपक्षीगण

निर्णय

परिवादी ने विपक्षीगण के विरूद्ध यह परिवाद उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा–12 में अंकन रूपये 2,07,287.40 की क्षतिपूर्ति दिलाने के लिए प्रस्तुत किया है।

संक्षिप्त में परिवाद के तथ्य इस प्रकार हैं, कि परिवादी गढ़वाल मोटर्स ऑनर्स यूनियन लि0 में एकाउंट्स क्लर्क के पद पर कार्यरत था। परिवादी दिनांक 28.02.1999 को वहां से सेवा निवृत्त हुआ। इस प्रकार परिवादी ने दिनांक 15.11.1995 तक 21 वर्ष की सेवा पूरी की और दिनांक 01.03.1999 से उसे रूपये 453.00 की धनराशि पेंशन के प्रतिमाह भुगतान किया गया, जबकि फरवरी, 1999 से उसे रूपये 453.00 की धनराशि प्रतिमाह पेंशन के रूप में देय थी। इसके पश्चात दिनांक 01.01.2002 से परिवादी को रूपये 489.00 की धनराशि प्रतिमाह पेंशन की दी जाने लगी। इसके बाद परिवादी के प्रयासों से विपक्षी सं0–2 ने विपक्षी सं0–1 के निर्देशानुसार परिवादी की पेंशन रिवाइज कर रूपये 588.00 प्रतिमाह की, जिसकी गणना इम्प्लॉइज पेंशन स्कीम, 1995 के अनुसार की गयी। परिवादी ने वर्ष 1974 में अपनी सेवा प्रारम्भ की थी, और उसी समय से उसका EPF अंशदान कटना प्रारम्भ हुआ था, और वह फरवरी, 1999 में सेवा निवृत्त हुआ। इस प्रकार उसने 24 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है। अतः निर्धारित फॉर्मूले के अनुसार 24 X 4967 ÷ 70 के अनुसार रूपये 1,730.00 की धनराशि प्रतिमाह की दर से पेंशन बनती है। जबकि विपक्षीगण ने गलत फॉर्मूले से पेंशन की गणना करने पर केवल रूपये 588.00 की धनराशि प्रतिमाह की दर से पेंशन की गणना की है, जो गलत है।

अतः परिवादी की दिनांक 05.02.1999 से 31.03.2010 तक रूपये 2,27,861.40 की धनराशि बनती है, जबकि उसे दिनांक 31.03.2010 तक रूपये 77,386.00 की धनराशि का भुगतान किया गया और इस प्रकार रूपये 1,50,475.00 की धनराशि विपक्षीगण की तरफ शेष है। परिवादी ने इस सम्बन्ध में कई पत्राचार किया, लेकिन विपक्षीगण द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी। परिवादी ने दिनांक 03.04.2010 को एक पंजीकृत नोटिस

विपक्षीगण को प्रेषित किया, लेकिन उनके द्वारा नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी कोई कार्यवाही नहीं की गयी, जिससे क्षुब्ध होकर परिवादी ने यह परिवाद प्रस्तुत किया।

विपक्षीगण ने अपने उत्तर पत्र में परिवादी के कथनों का खण्डन करते हुए, कहा है, कि परिवादी ने 21 वर्ष की सेवा पूरी नहीं की है। विपक्षीगण का कथन है, कि उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार परिवादी ने 20 वर्ष, 7 माह, 14 दिन की सेवा पूरी की है। विपक्षीगण के अनुसार E.P.F. & M.P. Act, 1952 के अन्तर्गत Past Service एवं Pensionable Service के आधार पर पेंशन की गणना की गयी है। विपक्षीगण के अनुसार उनकी तरफ परिवादी को कोई देय शेष नहीं है। विपक्षीगण के अनुसार परिवादी को सही पेंशन का भुगतान किया गया है। विपक्षीगण का कथन है, कि इम्प्लॉइज प्रोविडेंट फण्ड स्कीम वर्ष, 1995 में दिनांक 15.11.1995 से प्रारम्भ हुई थी, इससे पहले फेमिली पेंशन स्कीम लागू थी, इम्प्लॉइज पेंशन स्कीम नहीं। इम्प्लॉइज पेंशन स्कीम लागू होने पर उन सभी कर्मचारियों को भी इस स्कीम का लाभ दिया गया, जो इस स्कीम के लागू होने की तिथि पर इम्प्लॉइज प्रोविडेंट फण्ड स्कीम के अन्तर्गत पंजीकृत थे, और दिनांक–15.11.1995 तक पूरी की गयी सेवा को Past Service का संज्ञान देते हुए दो फॉर्मूले निर्धारित किये गये, और दोनों फॉर्मूले लेने के अनुसार की गयी गणना के अनुसार ही कर्मचारी को इम्प्लॉइज पेंशन का लाभ भी दिया गया। विपक्षीगण का कथन है, कि उन्होने परिवादी के पत्रों का जवाब अपने पत्र 10639/UP/GAB/PPO/2162/UP/473/328 Dated 22.04.2009 के द्वारा दिया था। विपक्षीगण के अनुसार उन्होने परिवादी के नोटिस का जवाब भी दे दिया था। विपक्षीगण के अनुसार परिवादी उपभोक्ता की श्रेणी में नहीं आता है, और माननीय फोरम को परिवाद को सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं है। अतः उनके विरूद्ध यह परिवाद निरस्त होने योग्य है।

जिला फोरम उपभोक्ता संरक्षण देहरादून

दोनों पक्षों ने पत्रावली पर अपनी–अपनी शपथ पत्रीय साक्ष्यों को उपलब्ध कराया है।

परिवादी ने पत्रावली कागज सं0–5ख/2 पर विपक्षी को प्रेषित पंजीकृत पत्र दाखिल किया है। पत्रावली कागज सं0–5ख/6 पर कर्मचारी पेंशन योजना के बावत एक कॉपी दाखिल की गयी है। पत्रावली कागज सं0–5ख/7, 5ख/8 एवं 5ख/9 द्वारा पेंशन भुगतान के बावत पत्र दाखिल किये गये हैं। पत्रावली कागज सं0–5ख/10 पर परिवादी ने पेंशन भुगतान के बावत प्रार्थना पत्र दाखिल किया है, जिसमें लिखा गया है, कि परिवादी को दिनांक 16.11.1995 से 28.02.1999 तक उसके वेतन से 8.33 प्रतिशत काटी गयी पेंशन फण्ड की राशि पर भी पेंशन स्वीकृत करने की कृपा करें। पत्रावली कागज सं0– 5ख/14 पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (श्रम मंत्रालय, भारत सरकार) का पत्र रीजनल प्रोविडेंट फण्ड कमिश्नर, देहरादून को प्रेषित पत्र की प्रति दाखिल है।

हमारे द्वारा पक्षकारों के अधिकृत व्यक्तियों को सुना गया, तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यों का अवलोकन किया गया।

परिवादी का मुख्य कथन यह है, कि विपक्षीगण ने सही फॉर्मूला अपना कर परिवादी को देय पेंशन की गणना नहीं की। उनके हिसाब से परिवाद पत्र के पैरा–6 में वर्णित फॉर्मूला ही लागू होता है, जिसके अन्तर्गत Assessable Pension को जितने वर्ष की सेवा पूरी की, उतने वर्ष से गुणा करने के पश्चात 70 से भाग देने पर दी है। इस केस

348

रा दर्शायी गयी है। परिवादी ने वर्ष नवम्बर, 1974 में अपनी सेवा प्रारम्भ की थी और उसी समय से उनका EPF अंशदान काटा जाना प्रारम्भ हुआ था, और वह फरवरी, 1999 में सेवा निवृत्त हुआ। इस प्रकार उसने 24 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है। अतः निर्धारित फॉर्मूले के अनुसार 24 X 4967 ÷ 70 के अनुसार रूपये 1,730.00 की धनराशि प्रतिमाह की दर से पेंशन बनती है। जबकि विपक्षीगण ने गलत फॉर्मूले से पेंशन की गणना करने पर केवल रूपये 588.00 की धनराशि प्रतिमाह की दर से पेंशन की गणना की है, जो गलत है।

विपक्षीगण का मुख्य कथन यह है, कि इम्प्लॉइज प्रोविडेंट फण्ड स्कीम वर्ष, 1995 में दिनांक 15.11.1995 से प्रारम्भ हुई थी, इससे पहले फेमिली पेंशन स्कीम लागू थी, इम्प्लॉइज पेंशन स्कीम नहीं। इम्प्लॉइज पेंशन स्कीम लागू होने पर उन सभी कर्मचारियों को भी इस स्कीम का लाभ दिया गया, जो इस स्कीम के लागू होने की तिथि पर इम्प्लॉइज प्रोविडेंट फण्ड स्कीम के अन्तर्गत पंजीकृत थे, और दिनांक 15.11.1995 तक पूरी की गयी सेवा को Past Service का संज्ञान देते हुए दो फॉर्मूले निर्धारित किये गये, और दोनों फॉर्मूलों के अनुसार की गयी गणना के अनुसार ही कर्मचारी को इम्प्लॉइज पेंशन का लाभ भी दिया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यों का सूक्ष्मता से अवलोकन करने से दो बातें पूर्णतः अविवादित रूप से स्पष्ट हो जाती हैं।

1. परिवादी ने नवम्बर, 1974 में अपनी सेवा प्रारम्भ की और दिनांक 15.11.1995 को उसने 20 वर्ष 7 माह 14 दिन की सेवा पूरी की। दिनांक 16.11.1995 से वर्ष 1999 में सेवा निवृत्त होने पर उसने 3 वर्ष 2 माह 19 दिन की सेवा पूरी की।

2. दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य जो अविवादित है, वह यह है, कि जिस समय परिवादी ने अपनी सेवा प्रारम्भ की, उस समय इम्प्लॉइज फेमिली पेंशन स्कीम वर्ष, 1971 लागू थी, और इम्प्लॉइज पेंशन स्कीम दिनांक 16.11.1995 से लागू हुई, जिस समय परिवादी ने 3 वर्ष 2 माह 19 दिन की सेवा पूरी की।

इम्प्लॉइज पेंशन स्कीम वर्ष, 1995 की धारा–12 (5) महत्वपूर्ण है, जिसमें स्पष्ट रूप से ऐसे कर्मचारियों के लिए पेंशन निर्धारित होने का फॉर्मूला दिया गया है, जिन पर दिनांक 16.11.2000 से पहले इम्प्लॉइज पेंशन स्कीम वर्ष, 1995 लागू हुई। निःसन्देह ऐसे कर्मचारियों को देय पेंशन की गणना करते समय हमें पेंशन की गणना को दो भागों में बांटना पड़ेगा।

1. Passed Service जो कर्मचारियों द्वारा दिनांक 15.11.1995 तक पूरी की गयी और दूसरी वह जो दिनांक 16.11.1995 से सेवा निवृत्त होने की तिथि तक पूरी की गयी। जिसका फॉर्मूला इम्प्लॉइज पेंशन स्कीम, 1995 की धारा–12 (5) में भलीभांति दिया गया है, तथा Passed Service की गणना करने के लिए धारा–12 (3b) में फॉर्मूला प्रस्तुत किया गया है। अतः कुल मिलाकर विपक्षीगण द्वारा अपनाया गया फॉर्मूला, जिसके अनुसार परिवादी को रूपये 538.00 की धनराशि प्रतिमाह की दर से पूरी पेंशन की गणना की गयी है, वह बिल्कुल सही प्रतीत होता है, और इसमें कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती है।

परिवादी का मुख्य कथन यह है, कि इम्प्लॉइज पेंशन स्कीम, 1995 के अन्तर्गत उनकी सेवा वर्ष, 1974 से ही गिनकर 24 वर्ष पूरी मानी जानी चाहिये और PENSIONABLE SALARY को 24 वर्ष से गुणा करके और उसे 70 से भाग दे कर

पेंशन की गणना करनी चाहिये। परिवादी का यह कथन सही नहीं है, और किसी तरह से भी उसे कोई सहायता नहीं पहुँचाता।

उपरोक्त अधिनियम की धारा– 12 (5) एवं धारा–12 (3b), दोनों को साथ में पढ़ने से समस्त स्थिति बहुत स्पष्ट हो जाती है। वैसे भी धारा– (11) के अन्तर्गत Actual Service को परिभाषित किया गया है, जिसका अर्थ यही है, कि कर्मचारियों द्वारा दिनांक 16.11.1995 से सेवा निवृत्त तक पूरी की गयी सेवा। यदि परिवादी के अनुसार इम्प्लॉइज पेंशन स्कीम वर्ष, 1995 के अन्तर्गत दिनांक 16.11.1995 तक पूरी की गयी सेवा को भी निरंतर रखकर पेंशन के लिए जोड़ा जाना होता, तो सम्भवतः Actual Service एवं Past-Service दोनों को अलग–अलग परिभाषित करने की आवश्यकता नहीं होती, और दोनों में अलग–अलग फॉर्मूले भी निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं होती।

अतः इस प्रकार विपक्षीगण द्वारा परिवादी की सेवा में जो पेंशन स्वीकृत की गयी है, उसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है, और इस परिवाद में कोई सार न होने के कारण खण्डित होने योग्य है।

आदेश

यह परिवाद उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा–12 में विपक्षगण के विरूद्ध निरस्त किया जाता है।

(ध्रुव नारायण टोडरिया)	(वीना शर्मा)	(आर०के० अग्रवाल)
सदस्य	सदस्या	अध्यक्ष

निर्णय/आदेश आज दिनांकित व हस्ताक्षरित करके खुले फोरम के समक्ष उदघोषित किया गया।

(ध्रुव नारायण टोडरिया)	(वीना शर्मा)	(आर०के० अग्रवाल)
सदस्य	सदस्या	अध्यक्ष

सत्य प्रतिलिपि
(आशुलिपिक)
जिला फोरम उपभोक्ता संरक्षण
देहरादून (उत्तराखण्ड)

Abstract of judgement dated 28/07/2011 of Hon'ble DCDRF, Dehradun in Consumer Complaint no. 258/2010

Sh. Govind Prasad Dimri had filed a consumer complaint noo. 258/2010 before Hon'ble DCDRF, Dehradun regarding payment of enhanced pension in accordance with Employees' Pension Scheme, 1995. In his complaint, he stated that he joined M/s GMOU Ltd. as Accounts Clerk on 01/04/1975 and retired on 05/02/1999 and therefore, rendered a total Pensionable Service of 24 years. He requested Hon'ble DCDRF, Dehradun to direct RPFC, Dehradun to fix his pension @ Rs. 1703/- considering his entire service as Pensionable Service according to formula given in para 12(2) of Employees' Pension Scheme, 1995.

2. The department intimated the Hon'ble DCDRF, Dehradun that the Employees' Pension Scheme, 1995 has been implemented only on 16/11/1995 and the members of erstwhile Employees' Family Pension Scheme, 1971 have also been extended the benefits of pension under Employees' Pension Scheme, 1995. The Past Service Benefits have been given to a member for the service rendered prior to implementation of Employees' Pension Scheme, 1995 and monthly member pension have been given to the members for the service rendered after 16/11/1995.

3. The Hon'ble DCDRF, Dehradun after considering all the facts of the case has held that **the claim of complainant that his entire service should be considered as Pensionable service is not correct. The Forum further held that actual service defined in para 2(ii) clearly means that the service rendered by an employer after 16/11/1995 till the date of retirement/leaving of service. If the intention of legislation is to count whole service as Pensionable Service, there would be no need of define the Acutal Service and Past Service separately and to make two different formula to calculate the benefits under them. The para 12(5) and 12(3b) of the Employees' Pension Scheme, 1995 also clear the position regarding calculation of pension. Hence, the pension sanctioned by the respondent has no error and complaint is liable to dismissed.**